प्रेस नोट दिनांक 04.09.2020

जनपद-मीरजापुर

पेशेवर शऱाब-तस्कर गिरोह के सरगना की गिरोहबन्द अधिनियम के अंतर्गत अपराध से अर्जित 14 लाख 80 हजार की सम्पति की गयी जब्त

अपराध नियन्त्रण एवं अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान व शातिर अपराधियों पर कार्यवाही के क्रम आज दिनांक 04.09.2020 को पेशेवर शऱाब तस्कर गिरोह के सरगना जसवन्त सिंह उर्फ लंबू पुत्र भीम सिंह निवासी खजुरी थाना लालगंज जनपद मीरजापुर की 14 लाख 80 हजार की सम्पति जब्त की गयी, जसवन्त सिंह उर्फ लंबू एक शातिर अभ्यस्त शराब तस्कर गिरोह का लीडर है, जसवन्त सिंह उर्फ लंबू अपने व गैंग के सदस्यों के आर्थिक व भौतिक लाभ के लिए अपराधिक व समाज विरोधी क्रियाकलापों में लिप्त है। इस प्रकार विधिसम्मत प्रकिया से भिन्न प्रकिया अपनाकर उसके परिणाम स्वरुप अवैध सम्पति अर्जित की गयी है, उसके पास अन्य कोई ज्ञात व वैध आय के श्रोत नही है, थाना प्रभारी लालगंज के रिपोर्ट पर पुलिस अधीक्षक मीरजापुर के अनुमोदन के उपरान्त जिलाधिकारी मीरजापुर द्वारा उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 की धारा 14(1) के अंतर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए शऱाब तस्कर गिरोह के सरगना गैगस्टर जसवन्त सिंह उर्फ लंबू पुत्र भीम सिंह निवासी खजुरी थाना लालगंज जनपद मीरजापुर के चल सम्पति 1-वाहन महिन्द्रा टीयूवी कार नंबर- यूपी 63 एई 1519 2- होण्डा मोटर साइकिल नंबर यूपी 63 एएच 8742 जिनकी कीमत करीब 14 लाख 80 हजार रुपये है, को जब्त करने का आदेश दिया गया। जिसके अनुपालन में आज दिनांक 04.09.2020 को प्रभारी निरीक्षक लालगंज एवं पुलिस बल द्वारा चल सम्पति जब्त की गई।

विवरण सम्पति-

1-वाहन महिन्द्रा टीयूवी कार नंबर- यूपी 63 एई 1519

2- होण्डा मोटर साइकिल नंबर यूपी 63 एएच 8742

आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0-530/2016 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना लालगंज मीरजापुर।

2- मु0अ0स0-198/2017 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना लालगंज मीरजापुर।

3-मु0अ0स0-246/2017 धारा 60 (2) आबकारी अधिनियम थाना लालगंज मीरजापुर।

4-मु0अ0स0-313/2017 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द अधि0 गैंगेस्टर थाना लालगंज जनपद मीरजापुर।

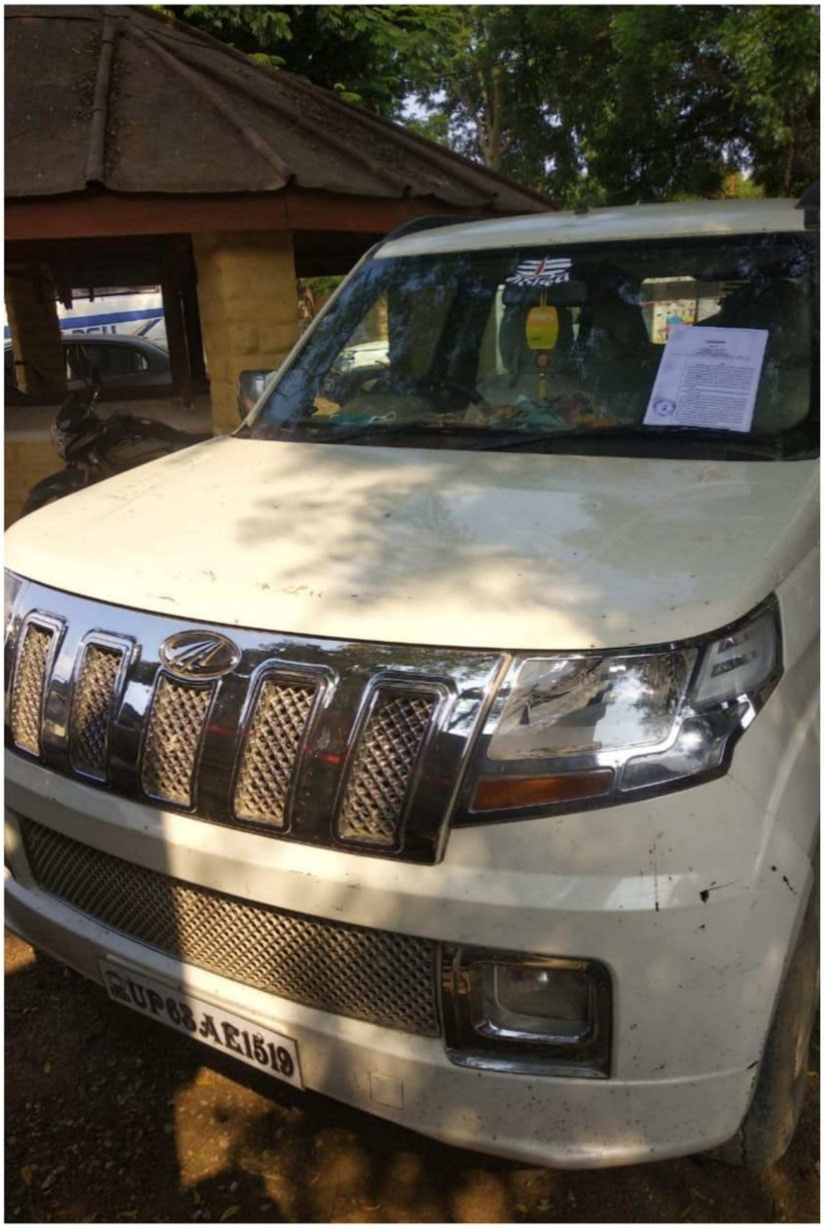
UP63AE1519

UP.63
AH8742